

नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक.....196767

प्रारूप - 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 2192

दिनांक 25/09/2019



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1960 के अधीन)


नवीकरण संख्या MBD-817 पत्रावली संख्या MBD-13440 दिनांक 24/09/2019

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि रुकमणि शिक्षण संस्थान
देहली रोड लोदीपुर राजपूत पो0 पाकबडा, जिला मुरादाबाद।
को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र 452/2004-05 दिनांक 23/08/2004 को दिनांक
23/08/2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

1100/- रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

जारी करने का दिनांक 24/09/2019


सोसाइटी के रजिस्ट्रार
25/9 उत्तर प्रदेश

रुकमणि शिक्षा संस्थान ग्राम लोदीपुर राजपूत पो0 पाकबड़ा,
जिला मुरादाबाद(मु0का0)की कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता जी की
सूच्यु के पश्चात गठित दिनांक 04-11-2019 की कार्यकर्तागणों की
संख्या-सूची 2019-2020

क्रम सं०	नाम व पिता का नाम	पता	हस्ताक्षर	पद
1	श्री कपाल सिंह	जमापुर हाकमपुर अतरासी कला जिला अमरोहा ।	अध्यक्ष	अध्यक्ष
2	श्रीमति रुंधा देवी पत्नी स्व० श्री रामकुमार सिंह	ग्राम लोदीपुर राजपूत पाकबड़ा, जिला-मुरादाबाद ।	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
3	श्री कमल सिंह मलिक पुत्र स्व० श्रीरामकुमार सिंह मलिक	124, आवास विकास, सिविल लाइन्स, पीली कोठी, मुरादाबाद	प्रबन्धक	प्रबन्धक
4	श्रीमति अनुराधा मलिक पत्नी श्री कमल सिंह मलिक	124, आवास विकास सिविल/ लाइन्स पीली कोठी, मुरादाबाद	कोषाध्यक्ष	कोषाध्यक्ष
5	श्री अजय चौधरी पुत्र श्री प्यारे लाल जी	माता मंदिर मार्ग ईस्ट मोजपुर ए-31 मुरादाबाद 53	सदस्य	सदस्य
6	श्री सिद्धार्थ मलिक पुत्र श्री कमल सिंह मलिक	नि०-मं०नं०-124, पीली कोठी सिविल लाइन्स, जनपद-मुरादाबाद ।	सदस्य	सदस्य
7	श्री मति आँचल पत्नी श्री सिद्धार्थ मलिक	नि०-मं०नं०-124, पीली कोठी सिविल लाइन्स, जनपद-मुरादाबाद ।	सदस्य	सदस्य

सुधा देवी

Ch-AJA

Prakash
Malik

मवदीया

Kamal

रुकमणि शिक्षा संस्थान
पो० नं० ३१ मुरादाबाद

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

सहायक रजिस्ट्रार
मुमं सोसाइटीज एवं विदस
पो० प्र०, मुरादाबाद
०४/११/२०१९

नियमावली

1. संस्थान का नाम : रूकमणि शिक्षण संस्थान
2. संस्था का पूरा पता : देहली रोड लोदीपुर राजपूत पं० पाकबड़ा
जिला- मुरादाबाद।
3. संस्था का कार्य क्षेत्र :
4. संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार होंगे
5. संस्था की सदस्यता : सदस्य बनने के लिये प्रबन्धक को आवेदन करना होगा
एवं सदस्यों के वर्ग - प्रबन्धक अपनी स्वीकृति के पश्चात प्रबन्धक समिति से
प्रस्ताव पारित होने के पश्चात सदस्य बनाया जायेगा।
आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को 50000/- रू० देगा या इतने ही
सम्पत्ति दान में देगा वह संस्था का आजीवन
सदस्य होगा।
विशिष्ट सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को 10,000/- रुपये प्रतिवर्ष या
इससे ही मूल्य की सम्पत्ति प्रतिवर्ष देगा वह संस्था का
विशिष्ट सदस्य होगा।
साधारण सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को 100/- रुपये प्रति वर्ष सदस्यता
शुल्क प्रदान करेगा वह संस्था का साधारण सदस्य
होगा।
6. सदस्यता की समाप्ति :
 1. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर ।
 2. सदस्य के पागल हो जाने या दिवालिया हो जाने पर ।
 3. सदस्यता शुल्क समय से जमा न करने पर ।
 4. न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर ।
7. संस्था के अंग अ. साधारण सभा
ब. प्रबन्धकारिणी संस्था के अंग होंगे।
8. साधारण सभा 1. गठन - साधारण सभा का गठन संस्था के सभी
सदस्यों को मिला कर किया जायेगा।
2. बैठक साधारण सभा की बैठक एक बार में
एक बार एक बार

3. सूचनावाध - साधारण सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी ।
4. गणपूर्ति - साधारण सभा का कोरम 2/3 पर्याप्त होगा। प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा तय की जायेगी ।
5. साधारण सभा के कर्तव्य अधिकार -
 1. वार्षिक रिपोर्ट पास करना ।
 2. वार्षिक बजट पास करना ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति



1. गठन - प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा के द्वारा किया जायेगा जिसकी संख्या आवश्यकतानुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है ।
 2. बैठक - प्रबन्धकारिणी समिति की समान्य बैठक प्रतिमाह तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी ।
 3. सूचना अवधि - प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगा ।
 4. कोरम - कुल संख्या का 2/3 कोरम पर्याप्त होगा।
 5. रिक्त स्थानों की पूर्ति - प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई पद आकस्मिक रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सदस्यों द्वारा की जायेगी ।
 6. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार तथा कर्तव्य -
 1. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना ।
 2. वार्षिक बजट तैयार करना ।
 3. वार्षिक अधिवेशन तय करना ।
 4. संस्था हेतु दान-अनुदान व चन्दा प्राप्त करना ।
- कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से पाँच वर्ष के लिए होगा ।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य :-

अध्यक्ष

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना ।
2. बैठकों के लिए दिनांक का अनुमोदन करना ।
3. समान मत होने पर निर्णायक मत देना ।

AJAY
सुब्बा देवी

अशोक कुमार

K. S. S. S.

राम प्रदिपति

व्यक्तिगत सदस्य
सर्वे सौम्यटीथ रवा विष्णु
सर्वे सौम्य सहायक

स्मृति पत्र

- 1- संस्था का नाम : रुकमणि शिक्षण संस्थान।
 2- संस्था का पूरा पता : देहली रोड, गुरावती राजपूत पो० पाकबड़ा,
 जिला-गुरावती।
 3- संस्था का कार्य क्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश।
 4- संस्था के उद्देश्य

रामकृष्ण सिंह

निराली अशोक
 रामरावती

Kamal

अनुशाया स्मृति



Nainpal Singh

सुधा देवी

Susendra Singh

- 1- क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर उच्च शिक्षा प्रदान करना।
- 2- विद्यार्थियों को शारीरिक, चरित्र वान व स्वतन्त्री बनाने के लिये छात्रावास स्थापित करना। उनकी व्यवस्था करना।
- 3- क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च वर्गीय विद्यालयों की स्थापना कर उच्च शिक्षा प्रदान करना।
- 4- विद्यार्थियों को शारीरिक, चरित्र वान व स्वतन्त्री बनाने के लिये विद्यालय की स्थापना करना।
- 5- राष्ट्रीय शिक्षा व चरित्र के विकास के लिए मानवीय गुणों की उन्नयन के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना।
- 6- वर्तमान पद्धति द्वारा शिक्षा प्रदान करना।
- 7- नई शिक्षा नीति के आधार पर छात्रों को नई दिशा देने का प्रयास करना। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
 वयस्क तथा महिलाओं को समस्त प्रकार की तकनीकी शिक्षा का आयोजन कर प्रशिक्षण प्रदान करना। लघु एवं कुटीर उद्योगों के प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर प्रशिक्षित करना एवं हस्तकला प्रशिक्षण प्रदान करना।
- 9- शारीरिक मानसिक एवं विकलांगों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान और उन्हें आत्म निर्भर बनाना।
- 10- संस्था के उद्देश्य सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 1 व 20 के अन्तर्गत होगे। तथा मुख्य उद्देश्य शिक्षण कार्य होगा।

क्रमशः पृष्ठ ...2

रामकृष्ण सिंह
 अध्यक्ष
 रुकमणि शिक्षण संस्थान
 देहली रोड, गुरावती राजपूत पो० पाकबड़ा,
 जिला-गुरावती।
 K.Kamal

शमकरी सिंह

मि० 31^०
अभिलेख

KSMelik

इन्द्रादीन सिंह



11. छात्रों हेतु छात्रावास निर्माण तथा उनके विकास हेतु कार्य करना।
12. महिलाओं हेतु छात्रावास का निर्माण तथा उनके शारीरिक, अर्थिक व अन्य विकास हेतु कार्य करना।
13. कृषि एवं अनुसंधानिक क्षेत्र के विकास हेतु शिक्षण संस्थायें स्थापित करना, सेमीनार आयोजित करना, शोध परक गतिविधियों को सम्पन्न व संचालित करना।
14. विधि, प्रबंधन, बीएटी/सीओ, शिक्षा शास्त्र, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सूचना तकनीकी एवं उनके आनुसंधानिक क्षेत्रों में शिक्षण संस्थायें स्थापित करना, सेमीनार आयोजित करना तथा शोधपरक गतिविधियों को सम्पन्न करना।
15. महिलायें, बच्चों, अनुसूचित जाति/जनजाति, वृद्ध एवं विकलांग लोगों के उत्थान हेतु शैक्षिक व अन्य गतिविधियों का संचालन करना।
16. नशा उन्मूलन हेतु कार्य करना तथा उसके शिकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाना।
17. अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों को बेहतर बनाने हेतु संस्थाओं द्वारा संचालित या आपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करना।
18. खेल-कूद तथा एथलेटिक गतिविधियों के विकास हेतु संस्था स्थापित करना तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिये अन्य गतिविधियों संचालित करना।
19. सोसाइटी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं से सामन्वय करना।

Naumak Singh

सुधादेवी

Sumanchar Singh

संजीव

बन्धु इन्द्रादीन

प्रधान मंत्री
सर्वे भारतीय तथा विरुद्ध
शोध हेतु, इन्द्रादीन

कर्मचारी

11. नियमों में परिवर्तन

12. संस्था का कोष

13. लेखा परीक्षण

14. अदालती कार्यवाही

15. अभिलेख

16. विघटन

Ch- H- JAY
मुद्रा देवी

डॉ. श्री. क. कुमार



4. पास्ता बजट में अन्दर व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।
- अत्यावृत्त की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये सगरस्त कार्य करना।
1. किसी भी कार्यवाही का संचालन करना।
2. संस्था के अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना।
3. संस्था की चल, अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. संस्था का पत्र व्यवहार करना।
5. संस्था हेतु दान अनुदान प्राप्त करना।
1. आय-व्यय का लेखा जोखा रखना।
2. संस्था के सगरस्त बिल वाउचर्स का भुगतान करना।
3. संस्था के कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
- संस्था के नियमों में परिवर्तन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत साधारण सभा के सदस्यों के द्वारा किया जायेगा।
- संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा। संस्था का खाता प्रबंधक/कोषाध्यक्ष एवं अध्यक्ष तीनों में से कोई भी दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित किया जायेगा।
- संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण संस्था द्वारा नियुक्त आडिटर से प्रति वर्ष कराया जायेगा।
- संस्था के संभरते अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के प्रबंधक का होगा।
1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. एंडोव्ड रजिस्टर
4. कश बुक लजर एव केश रिसेड मीमा आदि।
- संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजि0 एक्ट 1860 की धारा 13 व 4 के अन्तर्गत की जायेगी।

K. S. Malik

रर ररररर

श्री. श्री. क. कुमार
मुख्य कार्यवाही
मुख्य कार्यवाही

